

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat@radiffmail.com.i

पत्रांक 956 / 12-1

दिनांक, चम्पावत

22/9/

2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

विषय:- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० 12159/2015 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत की पत्र सं० 1276/02सी दिनांक 26.08.2021.

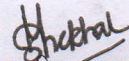
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी० के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जो ऑनलाईन किये गये थे। उक्त मार्ग में आर०ए०सी० की बैठक में प्रस्ताव के के०एम०एल० में गांवों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रस्ताव में संसोधन हेतु निर्देशित किया है। वर्तमान में संसोधित प्रस्ताव अपलोड किया जाना है। जिस हेतु प्रस्ताव विभाग ने अपने पत्रांक 1276/2सी दिनांक 26.08.2021 से नोडल कार्यालय देहरादून को प्रस्ताव निरस्त हेतु पत्र प्रेषित किया है।

अतः प्रस्ताव संख्या 12159/2015 को निरस्त करने कृपा करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय



प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

पत्रांक

/

दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत की पत्र सं० 1276/02सी दिनांक 26.08.2021. के क्रम में सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

& Fax No. 05965&230034
E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 1276/02

दिनांक :- 26/09/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/12159/2015 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- दिनांक 24.09.2020 को आर०ई०सी० की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12.000 के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जो कि पूर्व में इस खण्ड द्वारा ऑनलाईन किये गये थे में दिनांक 24.09.2020 आर०ई०सी० की बैठक में प्रस्ताव के के०एम०एल० में गोंवों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में संशोधित प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत को आवश्यक प्रपत्रों में प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित किये गये हैं, तदुपरान्त आनलाईन करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12.000 किमी० प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/12159/2015 को निरस्त करने की कृपा करें, ताकि पुनः संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आनलाईन किये जा सकें।

भवदीय,

(इ० एम०सी० पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
चम्पावत।

पत्रांक :- /

दिनांक :- / /2021

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
चम्पावत।